संख्या-1/2024/125/001-82-3002-001-1-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव,
राजनैतिक पेंशन विभाग।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
स्वेतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 22 अप्रैल, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में आय-व्ययक को निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/ बी-1-294 /दस- 2024-231/20 24, दिनांक- 04-03-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विनियोग के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-28 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में निम्न विवरण के अनुसार रू0 1,95,56,05,000/- (रुपये एक अरब पनचानबे करोड़ छप्पन लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता संबंधी शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों, नवीनतम शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004 मित0-1/2004, दिनांक 07 जनवरी, 2005 एवं शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009 मित0-1/2007, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 का विशेष रूप से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सके। अत: यात्रा व्यय, टेलीफोन व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं ईंधन पर व्यय की मदों के अन्तर्गत होने वाले व्यय को इस प्रकार नियोजित किया जाय, जिससे यथासंभव आवंटित धनराशि के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्तर्गत ही व्यय को पूरा किया जा सके और स्वीकृत धनराशि का व्यय समान रूप से प्रतिमाह सीमित रखते हुए पूरे वित्तीय वर्ष के लिये किया जाय।

2. बजट में प्राप्त धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में स्पष्ट किया गया कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। निदेशक/सचिव, स्वयतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था की जायेगी तथा शासन को बराबर इससे अवगत कराया जायेगा। यदि किसी विनियोग को प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन को अवगत कराया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय तथा स्वीकृत धनराशि की फेजिंग कर आहरण किया जाय, जो सामान्यत: 02 माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

7. प्रत्येक माह के व्यय की सूचना अगले माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से शासन को उपलब्ध करा दी जाय तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को वितरित की जाने वाली धनराशि को वितरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. इस सम्बन्ध् में यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक अतिरिक्त धनराशि की कोई व्यवस्था न हो, स्वीकृत की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

9. इस सम्बन्ध में स्वीकृत धनराशि के आवंटन/व्यय के संबंध में विभाग स्तर से समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों का पूर्णरूप से अनुपालन करते हुए धनराशि का व्यय/उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10. स्वीकृति धनराशि का व्यय/उपयोग वर्तमान में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के संगत प्राविधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

11. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक- 04.03.2024 में विहित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235601070300 (स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	028	2235601070300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन	33 पेंशन/आनुतोषिक/अन्यसेवानिवृत्ति हितलाभ	30,00,00,000 (रुपये तीस करोड़ मात्र)
	कुल			**30,00,00,000 (रुपये तीस करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235608000300 (आपातकालीन अवधि में मीसा एवं डी.आई.आर. में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि का भुगतान)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	028	2235608000300	42	1,60,00,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		आपातकालीन अवधि में मीसा एवं डी.आई.आर. में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि का भुगतान	अन्य व्यय	(रुपये एक अरब साठ करोड़ मात्र)
	कुल			**1,60,00,00,000 (रुपये एक अरब साठ करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2251000920300 (उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	01 वेतन	63,00,000 (रुपये तिरेसठ लाख मात्र)
2	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	03 मंहगाई भत्ता	34,65,000 (रुपये चौंतीस लाख पैंसठ हजार मात्र)
3	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	04 यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

		कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय		
4	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	06 अन्य भत्ते	1,30,000 (रुपये एक लाख तीस हजार मात्र)
5	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	07 मानदेय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
6	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	08 कार्यालय व्यय	70,000 (रुपये सत्तर हजार मात्र)
7	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		मुख्यालय		
8	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
9	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	13 टेलीफोन पर व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
10	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)
11	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
12	028	2251000920300	18	1,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	प्रकाशन	(रुपये एक हजार मात्र)
13	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
14	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
15	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	42 अन्य व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
16	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से	45 अवकाश यात्रा व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय		
17	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
18	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
19	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	49 चिकित्सा व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
20	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	51 वर्दी व्यय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	028	2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय	55 मकान किराया भत्ता	7,20,000 (रुपये सात लाख बीस हजार मात्र)
	कुल			**1,11,45,000 (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख पैंतालीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2251002000300 (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	01 वेतन	58,24,000 (रुपये अट्ठावन लाख चौबीस हजार मात्र)
2	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	02 मजदूरी	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
3	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	03 मंहगाई भत्ता	32,03,000 (रुपये बत्तीस लाख तीन हजार मात्र)
4	028	2251002000300	04	25,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	यात्रा व्यय	(रुपये पच्चीस हजार मात्र)
5	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	06 अन्य भत्ते	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
6	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	07 मानदेय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
7	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	08 कार्यालय व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
8	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	09 विद्युत देय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
9	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	10 जलकर / जल प्रभार	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
10	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
11	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
12	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	13 टेलीफोन पर व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
13	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम	17 किराया, उपशुल्क	2,00,000 (रुपये दो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		सेनानी सेवा सदन	और कर-स्वामिस्व	लाख मात्र)
14	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	29 अनुरक्षण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
15	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	39 औषधि तथा रसायन	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
16	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	41 भोजन व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
17	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	42 अन्य व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
18	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
19	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	45 अवकाश यात्रा व्यय	15,000 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र)
20	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
21	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	15,000 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र)
22	028	2251002000300	49	1,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	चिकित्सा व्यय	(रुपये एक लाख मात्र)
23	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	51 वर्दी व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
24	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	55 मकान किराया भत्ता	4,32,000 (रुपये चार लाख बत्तीस हजार मात्र)
25	028	2251002000300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
	कुल			**1,19,60,000 (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख साठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2251002000600 (मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार हेतु उनके अश्रितों को अर्थिक सहायता)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	028	2251002000600 मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार हेतु उनके अश्रितों को अर्थिक सहायता	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
	कुल			**5,00,000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

				(रुपये पाँच लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 3055001900300 (स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उ. प्र. राज्य सड़क परिवाहन निगम की बसों से निशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को भुगतान)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	028	3055001900300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उ. प्र. राज्य सड़क परिवाहन निगम की बसों से निशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को भुगतान	42 अन्य व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
	कुल			**20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3055001900400 (आपात कालीन अवधि में मीसा एवं डी.आई.आर. में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसों से नि:शुल्क यात्रा सुविधा के लिए निगम को भुगतान)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	028	3055001900400 आपात कालीन अवधि में मीसा एवं डी.आई.आर. में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसों से नि:शुल्क यात्रा सुविधा के लिए निगम को भुगतान	42 अन्य व्यय	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कुल			**3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)**

महायोग	1,95,56,05,000 (रुपये एक अरब पंचानबे करोड़ छप्पन लाख पाँच हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनोज कुमार राय)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट ऑफिसर(आडिट/प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम, सत्य-निष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
7- राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग/ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान।
8-अधीक्षक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ/मथुरा।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार राय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।